छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ0ग0)
Chhattisgarh State Legal ServicesAuthority,Old High Court Building, Bilaspur (C.G.)
Phone- (07752)-410210, 417625 Fax 410530 Toll Free No 18002332528
E-mail- cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website- www.cgslsa.gov.in

F.N./ 1671 / II-12-01/2021 Bilaspur Date - 09 /09/2021

–: आदेश :–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की स्थापना में पदस्थ रहे शासकीय सेवक श्री दिनेश कुमार श्रीवास, भृत्य, की मृत्यु दिनांक 26.04.2021 को होने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री प्रकाश कुमार श्रीवास पिता स्व. श्री दिनेश कुमार श्रीवास, पता– मेण्ड्रा पोस्ट सैदा थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) को अनुकंपा आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी "भृत्य" के पद पर वेतनमान 15600–49400 पे मेट्रिक्स लेबल–1 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो के अधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर में तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के वित्त निर्देश 21/2020 ज्ञापन क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 अटलनगर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार उन्हें परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेण्ड देय होगा, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होगें। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

// नियुक्ति की शर्तें //

1– नियुक्त आवेदक को कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु इस स्थापना में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

2– नियुक्त आवेदक को इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

3– नियुक्त आवेदक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्वयं के व्यय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र इस स्थापना में प्रस्तुत करना होगा। यदि वे फिटनेस प्रमाण–पत्र में सेवा के लिये अनुपयुक्त पाये जाते हैं तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

4– उन्हे अनुप्रमाणक फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की दशा में तत्काल सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

5– नियुक्त आवेदक की सेवाएँ कभी भी बिना कोई कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

क्रमशः–2

6– नियुक्त आवेदक यदि शासकीय सेवा छोड़ना चाहते है, तो उन्हे एक माह की पूर्व सूचना इस प्राधिकरण को देनी होगी अथवा एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि इस प्राधिकरण में जमा कर किसी भी समय सेवा से मुक्त हो सकेंगे।

7– नियुक्त आवेदक सक्षम अनुमति के बिना आगे की शिक्षा जारी नहीं रख सकेंगे, ऐसा करने पर उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी।

8– नियुक्त आवेदक सक्षम अनुमति के बिना अन्यत्र नौकरी के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे ऐसा करने पर उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी।

9– नियुक्त आवेदक द्वारा सेवा की सामान्य शर्ते एवं सेवा आचरण नियम के विपरीत कार्य एवं व्यवहार तथा आचरण से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10– नियुक्त आवेदक द्वारा परिशिष्ट–दो में दिये गये घोषणा पत्र के अनुसार दिवगंत शासकीय सेवक के आश्रितों का सही ढंग से भरण पोषण नही करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11– नियुक्त आवेदक की परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष की रहेगी। परिवीक्षा अवधि में आवेदक की सेवाऐं संतोषप्रद नही होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी। और जब तक स्थायी ना कर दिया जाये, तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जायेगा।

12– नियुक्त आवेदक की सेवाऐं परिवीक्षा काल में किसी भी समय बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार

09/09/21

(सिद्धार्थ अग्रवाल)
सदस्य सचिव

पृ0कमांक–........../दो–12–01/2021 बिलासपुर, दिनांकः /09/2021

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव, माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष/माननीय कार्यवाहक मुख्य संरक्षक महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर माननीय महोदय, के सादर अवलोकनार्थ।

2– श्रीमान् प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3– महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।

4– जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5– लेखा शाखा, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– आवेदक श्री प्रकाश कुमार श्रीवास, पिता स्व. श्री दिनेश कुमार श्रीवास पता–मेण्ड्रा पोस्ट–सैदा थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

sd

(सिद्धार्थ अग्रवाल)
सदस्य सचिव